



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1945 (श10)
(सं0 पटना 612) पटना, बुधवार, 26 जुलाई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2023

अधिसूचना संख्या 10/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 229, दिनांक 26 जुलाई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2018- राज्य-कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1213, दिनांक 31 दिसंबर, 2018, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.41" के स्थान पर, वाक्यांश "पैराग्राफ 4.40" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(B) स्पष्टीकरण में, -

(i) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023, द्वारा का.आ. 1565 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित "विदेश व्यापार नीति, 2023" से है।;"

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की

फा.सं. 01/75/171/00016/एम-23/एफटीपी सेल, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित "हैंड बुक ऑफ़ प्रोसीजर्स" से है I;"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 को लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)10)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 जुलाई 2023

एस० ओ० 229, दिनांक 26 जुलाई, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)10)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 26th July 2023

Notification No. -10/2023- State Tax (Rate)

S.O. 229, Date 26th July 2023-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar, Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department Notification No. 26/2018- State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1213, dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, -

(A) in the opening paragraph, for the phrase "paragraph 4.41", the phrase "paragraph 4.40", shall be substituted;

(B) in the Explanation, -

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

"(a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2023, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 1/2023 dated the 31st March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1565 (E). dated the 31st March, 2023;"

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

"(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide Public Notice No. 01/2023 dated the 1st April, 2023, Extraordinary, Part-I, Section 1 vide F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell dated the 1st April, 2023;"

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 10)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 612-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>